



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक: एफ1 (1393)सथा/निकाशि/19-02255/

दिनांक:- हस्ताक्षर दिनांक

समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों को चाईल्ड केयर लीव वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तथा राजस्थान सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार साथ ही निम्नानुसार दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें:-

01. वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.05.2018 एवं 10.09.2018 तथा 31.07.2020 की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
02. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन बार तथा एक अवधि में अधिकतम 30 दिवस का ही चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जावे।
03. संबंधित विषय में विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरान्त ही अवकाश स्वीकृत किया जावें।
04. प्राचार्य/सहायक निदेशक अपने महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकृत पदों एवं कार्मिकों (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) की उपलब्धता और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति का आकलन कर अवकाश स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref
12038987



Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation: Additional
Commissioner